

## विशाखा दिशा-निर्देश

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने अगस्त 1997 (विशाखा तथा अन्य बनाम राजस्थान सरकार तथा अन्य) में जारी एक ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि यौन उत्पीड़न की हर घटना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 तथा 21 के तहत "मौलिक अधिकारों" का उल्लंघन है तथा अनुच्छेद 19 (1) (जी) के अधीन "स्वतंत्रता का अधिकार" का उल्लंघन है।

विशाखा मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की समस्या से निपटने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए।

पूर्व तथ्य : 50 वर्षीय एक सामाजिक कार्यकर्ता भंवरी देवी के साथ उच्च तथा प्रभावी वर्ग के व्यक्तियों ने सामूहिक बलात्कार किया, क्योंकि वह जयपुर के समीप अपने गाँव में बाल विवाह की प्रथा को रोकने का प्रयास कर रही थी। न्याय पाने के दृढ़ संकल्प के साथ भंवरी देवी ने अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दायर करवाया। हालाँकि उस मामले में सभी आरोपियों को ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी कर दिया गया, क्योंकि गाँव के अधिकारियों, डॉक्टर तथा पुलिस सभी ने उसकी स्थिति को खारिज कर दिया था।

न्यायालय के इस निर्णय ने विशाखा के सामूहिक मंच के तहत (विशाखा तथा अन्य बनाम राजस्थान सरकार तथा अन्य, 1997) कई महिला समूहों तथा गैर-सरकारी संगठनों को सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करने के लिए प्रेरित किया। अपनी याचिका में उन्होंने भंवरी देवी के लिए न्याय की माँग की और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध कार्यवाही का अनुरोध किया।

सर्वोच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न को किसी ऐसे अप्रिय हाव-भाव, व्यवहार, शब्द या पहलू के रूप में परिभाषित किया, जो यौन प्रकृति के हों। न्यायालय ने पहली बार एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधि पत्र, दी कंवेन्शन ऑन दी एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्मर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेन्स्ट वूमन (सीईडीएडब्ल्यू) का संदर्भ लेते हुए दिशा-निर्देश संग्रह का निर्धारण किया, जिसे आम तौर पर विशाखा दिशा-निर्देश के नाम से जाना जाता है, जिसमें शामिल हैं :

- यह रोजगार प्रदाता का दायित्व है कि वह यौन उत्पीड़न से निवारण के लिए कंपनी की आचार संहिता में एक नियम शामिल करें।
- संगठनों को अनिवार्य रूप से शिकायत समितियों की स्थापना करनी चाहिए, जिसकी प्रमुख महिलाओं को बनाया जाना चाहिए।
- उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए तथा पीड़िता के हितों की रक्षा करनी चाहिए।
- महिला कर्मचारियों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करवाया जाना चाहिए।

वर्ष 1997 से पूर्व, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का शिकार होने वाली महिलाएँ भारतीय दंड संहिता, 1860, एसएस.354 तथा 509 के तहत शिकायत दर्ज करवाती थीं।

तत्पश्चात् विशाखा मामले के उल्लिखित निर्णय के अनुसार शिकायत समिति के पास वास्तविक प्राधिकार और कानूनी दर्जा है ।

विशाखा फैसले के अनुरूप सेंट्रल सिविल सर्विसेज़ (आचरण) नियम 1964 में, आर.3सी को शामिल करने के लिए वर्ष 1998 में सुधार किया गया जो कार्यरत महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर रोक लगाता है ।

सेंट्रल सिविल सर्विसेज़ (आचरण) का नियम 1964, आर.3सी कहता है :

- (1) कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर किसी महिला के साथ किसी प्रकार के यौन उत्पीड़न के आचरण में लिप्त नहीं होगा ।
- (2) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी जो कार्यस्थल का प्रभारी होता है, ऐसे कार्यस्थल पर किसी महिला के साथ होने वाले यौन-उत्पीड़न को रोकने के लिए समुचित उपाय करेगा ।

हालाँकि यह स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है, पर यह नियम सभी महिलाओं पर लागू होगा, भले ही वे सरकारी प्रतिष्ठान में कार्यरत हों या सरकारी कार्यालय/अधिकारियों के संपर्क में हों ।

इसके अलावा 'मेधा कोटवाल लेले तथा अन्य बनाम भारतीय संघ तथा अन्य' के मामले में दिए अपने फैसले में सेंट्रल सिविल सर्विसेज़ (आचरण) नियम, 1964 के लिए एक जाँच अधिकारी के निर्धारण का निर्देश दिया गया तथा शिकायत समिति की रिपोर्ट को उन नियमों के अधीन एक जाँच रिपोर्ट के रूप में माना गया ।

इस निर्देश के अनुरूप केंद्र सरकार (कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग) ने सेंट्रल सिविल सर्विसेज़ (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1965 आर.14, उप-आर.(2) में संशोधन कर आवश्यक प्रावधान को शामिल किया ।

विशाखा मामले के फैसले के बाद कई प्रारूपों के पश्चात् 4 नवंबर 2010 को संसद द्वारा 2010 को 'कार्यस्थल पर यौन-उत्पीड़न के विरुद्ध महिला सुरक्षा विधेयक' का जन्म हुआ । गौरतलब है कि यह विधेयक न केवल महिला कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि कार्यस्थल पर क्लाइंट, ग्राहक, अप्रेंटिस, दिहाड़ी मजदूरी श्रमिक या तदर्थ क्षमता के रूप में प्रवेश करने वाली किसी भी महिला को सुरक्षा प्रदान करता है । कॉलेज/विश्वविद्यालयों में छात्राएँ, शोध विद्वान एवं अस्पताल में रोगी भी शामिल किए गए । इस विधेयक का लंबित क्रियान्वयन, विशाखा दिशा-निर्देश अभी भी इन समस्याओं के समाधान हेतु एक कार्य-प्रणाली के रूप में कार्य कर रहे हैं ।